तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.26	पहली बेश हुआ। वादिनी व अ.। वकील वादी ने प्रकरण नोट हेतु लिया। अतः प्रकरण में कोई अन्तिम अभिवचन लिये जाने का औचित्य नहीं रहा है। प्रकरण वादिनी द्वारा नोट हेतु लिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पहली पेशी कुमार शेष रूपए लेने कम हो।	
दावा	उपखण्ड अधिकारी चौमूं (राज०)	दावा नहीं चला पहले नोट डेल मेरवाटा जमाना नहीं कपाकेटी बनवारी ल (वादी) Not present M/Sh डा.पत्र ORI नहीं चमना पाहली Identifie

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिलिपि मूल आदेश/निर्णय से मिलान की गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि.....
प्रतिलिपिकार